राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर

निविदा एंव संविदा की सामान्य शर्ते

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए तथा लिफाफे पर निविदा किसके लिए दी जा रही है उस कार्य अथवा प्रदान की जाने वाली वस्तु सेवा का उल्लेख होना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

2. वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएंः– निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी।

3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

4. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदरों को ठेकेदार दारा द्वारा, फर्ममें तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एंव क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. बिक्री कर पंजीयन एंव शोधन प्रमाण–पत्र (Clearance certificate):– कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दरें शब्दों एंव अंकों दोनों में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एंव/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एंव दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरें सभी प्रकार के करो सहित होगी।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्वत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं।

9. (i) दरों की तुलनाः– राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो द्वारा, जो नियमों के अर्न्तगत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(ii)राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10. मूल्य अधिमानः–

राजस्थान के लघु एंव कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर लघु एंव कुटीर उद्योगो द्वारा, राजस्थान के बाहर के बृहद एंव मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित या उत्पादित माल पर भण्डार क्रय (कुटीर एंव लघु उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार मूल्य अधिमान दिया जाएगा।

11. विधि मान्यताः–निविदाये, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

12. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एंव ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) :–(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगीं।

(ii) अत्युत्तम गुणवत्ता एंव विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुए स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप है, तथा क्या वे सैम्पुल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एंव मान्य होगा।

(iii) वारंटी एंव गारंटी का खंडः– निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से–12 माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों / स्टोर्स / वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एंव/ या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि–12 माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों / स्टोर्स / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों / स्टोर्स / वस्तुओं / को या उनकें उस भाग को जो उक्त विवरण एंव गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्व करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्व किये जाने पर माल / स्टोर्स /वस्तुएं /विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्व करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहां गया तो वह उस माल आदि को या उसकें उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्व कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

14. निरीक्षणः–

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्त्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एंव कर्मकौशल का निरीक्षण एंव जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एंव वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रू‍प में प्रविष्ट हुए है, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. सैम्पुलः– अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पुल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। सैम्पुल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पुल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पुल ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर /या जी. आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिग /खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स / पालीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।

16. प्रत्येक सैम्पुल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

17. अनुमोदित सैम्पुलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पुलों को प्रतिधारित (retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूटफूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पुलों को वापस लिया जाएगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह के भीतर कोई सैम्पुल प्राप्त नहीं किए जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत ;थ्वतममिपजद्ध कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकटा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट– फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जाएगा।.

19. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एंव तत्समान परीक्षण गृहो में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

20. सैम्पल निकालना (Drawing of Samples) :– परीक्षणों के मामलों में, निविदादाता या उसकें प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पुल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं

एंव /या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एंव अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

21. परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाताओं अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

22. रद्व करना (Rejection):– (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुए अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्व किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिंक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasable) नहीं समझाा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

23. रद्व की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्व करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसकें बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एंव उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

24. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवान की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्त्ता को माल की सुपुर्दगी अच्दी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच / निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एंव कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

25. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्क्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

27. (i) सुपुर्दगी अवधिः– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–

(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

28. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):–

(क) निविदा के साथ निविदा मूल्य 2 % के बराबर बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान जयपुर नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिए।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूटः– जो फर्मे निदेशक, उद्योग, एंव रसद, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन्हें उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वह उस रूप में पंजीकृत हैं, बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यह इस शर्त के अध्यधीन है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी या उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित एक प्रति, निदेशक,उद्योग राजस्थान से प्राप्त सक्षमता प्रमाण– पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ड.) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्व की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बयाना राशि / प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है। तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

बयाना राशि का समपहरणः– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा–

(i)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

29. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)-

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त हाने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनकें मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसकों निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी परन्तु राशि अधिकतम +''एक लाख रूपये'' होगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे–

(क) नगद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर / बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र , डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हों । इन प्रमाण–पत्रों को उनकें समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग, राजस्थान के पास पंजीकृत फर्मे, उन सामानों (स्टोर्स) के सम्बन्ध में जिनके लिए वे पंजीकृत है, निदेशक, उद्योक का पंजीयन एंव विहित सक्षमता प्रमाण– पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित की हुई प्रति के प्रस्तुत किए जाने पर, प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने से मुक्त होंगी।

(ii) केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगें।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई/कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर रूपये 500/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निः शुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

31. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा।
यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (R.R) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

32. बीमाः–

(।)सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्व,विद्रोह,दंगे, आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओ से कराया जाना चाहिए।

33. भुगतानः–

(i)दुर्लभ एंव विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुडस ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियॉ में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण–पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें।

34. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझाा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) :– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निविदा में दी गयी विशिष्ट दरों अथवा निम्नलिखित प्रतिशतता (दोनों में जो भी अधिक हो) के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों/सेवाओं के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने/उपलब्ध कराने में असफल रहा हैं–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेंगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

35. वसूलियांः– परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्व की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्व किए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनकों नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एंव विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

36. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

37. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्व कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हों।

38. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्व करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म / सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

39. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रामाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फमर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजियन संख्या एंव उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण– पत्र।

40. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप– अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

41. ड्यूटी पर नियुक्त कार्मिकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुबन्धक की होगी एवम् ड्यूटी पर कार्मिक निर्धारित पौशाक में होंगे जिनका चाल–चलन एवं स्वास्थ्य सही होना आवश्यक है, कार्य पर किसी भी कार्मिक/तकनीशियन के आकस्मिकता की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धक/संवेदक की होगी संस्थान इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा।

42 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>–घोषणा–</u>

1. मैं ..... पुत्र ..... मालिक/पार्टनर, फर्म का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने 1 से 42 तक निविदा सम्बन्धी सामान्य शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया है मैं इन सभी शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

2. उक्त कार्य सेवा का रखरखाव, सामान की आपूर्ति निविदा की शर्तो एवं वित्तीय बिड़ में दी गयी दरों पर निविदा में निर्धारित अवधि तक करने के लिए तैयार हूँ

निविदादाता के हस्ताक्षर
नामः
पताः
(मोहर)